

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 मार्च 2023—फाल्गुन 16, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2023

क्र. 2078-1145217-2023-आठ.— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का धारा 115 के साथ पठित धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 ए के बरेला-मण्डला मार्गखण्ड के अधीन ग्राम बबैरा के निकट क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के कारण फूलसागर से नारायणगंज वाया बरेला मार्ग पर दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया (कार, जीप, ट्रैक्टर तथा पिकअप) वाहनों को छोड़कर मध्यम मालयान, भारी मालयान एवं सभी प्रकार की यात्री बसों का संचालन दिनांक 15 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित करती है. प्रतिबंधित मालयान परिवर्तित मण्डला-फूलसागर-बबलिया-निवास-बरेला मार्ग का उपयोग कर सकेंगे तथा यात्री बसें मण्डला-फूलसागर-बबलिया-नारायणगंज-बीजाडांडी-बरेला मार्ग का उपयोग कर सकेंगी.

No. 2078-1145217-2023-VIII.— In exercise of the powers conferred by Section 115 read with Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the State Government, hereby, prohibits the operation of medium goods vehicles, heavy goods vehicles and all types of passenger buses on the National Highway No. 12A Phulsagar to Narayanganj via Babaiha route for the period from the date of 15th February 2023 to 14th March 2023 due to repair of damaged bridge near village Babaiha under Barela-Mandla section, exception two wheeler, three wheeler and four wheeler (Car, Jeep, Tractor and Pickup) vehicles. The banned goods vehicles shall be able to use the diverted Mandla-Phulpur-Bablia-Niwas-Barela route and passenger buses shall be able to use the Mandla-Phulsagar-Bablia-Narayanganj-Bijadandi-Barela route.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.